

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

No. A/4727
III-6.4/22

Jabalpur, dated 04.12.2021

A copy of the notification of the Government of M.P. no. 2897-3368-21-L-2, dated 29.9.2021 issued as per the provisions of Rule 6(7) of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Rules, 2016 is forwarded to;

1. The Registrar cum PPS of Honourable the Chief Justice for kind information of His Lordship;
2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judge; Raisen;
4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
7. The Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. The Registrar (Judicial-1), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
9. The Joint Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information.

Vivek Saxena
04.12.2021
(VIVEK SAXENA)

REGISTRAR District Establishment

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 29/9/21

क्रमांक 2897/3368/21/50-2 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के नियम 6 (7) में किशोर न्याय बोर्ड के कार्य दिवसों के बारे में प्रावधानित है कि "बोर्ड सभी कार्यदिवसों पर मजिस्ट्रेट न्यायालय के कार्य-समय के अनुरूप न्यूनतम छह घंटे अपनी बैठकें आयोजित करेगा, जब तक कि जिला विशेष में लंबित मामलों की संख्या कम न हो और राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई आदेश जारी न किया हो या राज्य सरकार ने जिले में लंबित मामलों की संख्या, क्षेत्र या भूभाग, जनसंख्या घनत्व या अन्य किसी कारक पर विधिवत विचार करने के बाद राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले में एक से अधिक बोर्डों का गठन न किया हो"।

2/ माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के ज्ञापन क्र. A/2200/III-6-4/72-IX दिनांक 15/07/2021 अनुसार रायसेन जिले के किशोर न्याय बोर्ड में कार्यदिवसों की संख्या निर्धारित कर आदेश जारी किये जाने हेतु लेख किया गया है।

3/ अतः राज्य शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार निम्न तालिका के कॉलम 02 में उल्लेखित जिले के किशोर न्याय बोर्ड हेतु कॉलम 3 में उल्लेखित कार्य दिवस निर्धारित करता है:-

क्रमांक	किशोर न्याय बोर्ड जिला	बोर्ड की बैठक हेतु निर्धारित कार्य दिवस
1	2	3
1	रायसेन	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

(डॉ. जगदीश चंद्र जटिया)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन


महिला एवं बाल विकास विभाग

निरंतर.....2

पृ०/ठां० क्रमांक २८९८/३३६४/२१/५०-२
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक २९-९-२१

01. रजिस्ट्रार, (DE) माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
02. रजिस्ट्रार, किशोर न्याय समिति, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
03. प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश।
04. संचालक, महिला एवं बाल विकास, संचालनालय, भोपाल।
05. संभागीय आयुक्त, संबंधित मध्यप्रदेश।
06. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला संबंधित, मध्यप्रदेश।
07. कलेक्टर, जिला संबंधित, मध्यप्रदेश।
08. प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड, जिला संबंधित, मध्यप्रदेश।
09. संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला संबंधित।
10. जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला संबंधित।
11. अनुभाग अधिकारी-२/गार्ड फाइल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उष सचिव
मध्यप्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

